

(Goms/2025/93)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

बनाम तहसीलदार  
 चम्पा  
 किस्म मुकदमा प्राथना पत्र - 136 CR Act मु.नं. 493 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
31/10/25	<p>प्रार्थीया चम्पा पत्नी बोदू राम जाति <del>प्राणी</del> निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के अनुसार ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 121, 51 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम चम्पादेवी पत्नी बोदू राम जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम चम्पा पत्नी बोदू राम है। प्रार्थीया के दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया का सही नाम चम्पा पत्नी बोदू राम दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम चम्पादेवी पत्नी बोदू के स्थान पर चम्पा पत्नी बोदू राम दुरुस्त किया जावे।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/192 दिनांक 11.10.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर के नये खाता सं. 121, 51 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम चम्पादेवी पत्नी बोदू राम के स्थान पर चम्पा पत्नी बोदू राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/192 दिनांक 11.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कमील दाखिल दफतर है।</p>



उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला-सीकर  
 उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला-सीकर